



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13022023-243576
CG-DL-E-13022023-243576

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 614]
No. 614]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 13, 2023/माघ 24, 1944
NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 13, 2023/MAGHA 24, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2023

का.आ. 643(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेष भूमि अर्जन अधिकारी, डि.एम.स. आफिस, पश्चिम मेदिनीपुर को पश्चिम बंगाल राज्य के पश्चिम मेदिनीपुर जिले में नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-14) के मौजूदा चेनेज 117+770 कि.मि. से चेनेज 119+250 कि.मि. तक चार लेन के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

पश्चिम बंगाल राज्य के पश्चिम मेदिनीपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-14) के मजुदा चेनेज 117+770 कि.मि. से चेनेज 119+250 कि.मि. तक चार लेन के सम्बन्ध में भूमि अधिग्रहण हेतु।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	विशेष भूमि अर्जन अधिकारी, डि.एमस आफिस, पश्चिम मेदिनीपुर ()	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH60 के कि.मी. 117.77 से 119.25 तक	पश्चिम बंगाल	पश्चिम मेदिनीपुर	खरगपुर-I मेदिनीपुर सदर	1 सफीआबाद (जे.एल.नं.-202) 2 मातकातपुर (जे. एल. न. 203) 1 श्रीरामपुर (जे.एल.नं. -202) 2 बल्लभपुर (जे.एल.नं.-183)

[फा. सं. NH-12030/2/2022-RO-KOL/2]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2023

S.O. 643(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the Special Land Acquisition Officer, DM's office Paschim Medinipur as the competent authority to perform the functions of such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of "4 laning of NH-60 (New NH - 14) from ch. 117+770 km. to ch. 119+250 km. in the district of Paschim Medinipur, West Bengal." as specified in the schedule given below.

SCHEDULE

Acquisition of land in respect of "4 laning of NH-60 (New NH-14) from ch. 117+770 km. to ch. 119+250 km. in the district of Paschim Medinipur, West Bengal."

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Special Land Acquisition Officer, DMs office Paschim Medinipur ()	117.77KM To 119.25KM	WEST BENGAL	Paschim Medinipur	खरगपुर -I मेदिनीपुर सदर	1 Safiabab (J.L. No. -202) 2 Matkatpur (J.L. No. 203) 1 Srirampur (J.L. No. -202) 2 Ballabhpur (J.L. No. -183)

[F. No. NH-12030/2/2022-RO-KOL/2]

RAJESH GUPTA, Director